संख्या:- /20/16-1099/101/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

कुलपति,
डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक- 15/07/2020**

विषय- तकनीकी विश्वविद्यालयों/प्राविधिक शिक्षा परिषद की शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2020/10920 दिनांक 08.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाओं के सम्बंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली के दिनांक 29.04.2020 व 06.07.2020 को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बंध में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते है:-

1. अंतिम वर्ष के छात्रों के अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के दिनांक जुलाई 06, 2020 को जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिये एण्ड सेमेस्टर परीक्षा आफलाइन/आनलाइन अथवा दोनों मोड में कराई जाएगी। यह प्रक्रिया 30 सितंबर, 2020 के पूर्व सम्पन्न कर ली जाय।
2. मुख्य परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के कैरी ओवर विषयों, जहां लागू हो, की परीक्षायें भी मुख्य परीक्षाओं के साथ ही कराई जाय।
3. यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र किसी कारणवश इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाता है, तो संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिये समयानुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा।
4. संस्थानों को आनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर

थ्योरी और प्रोजेक्ट/प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिये यथोचित समय दिया जायेगा। इस अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यंकन अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।

5. अंतिम वर्ष के छात्रों के लिये प्रोजेक्ट/थीसिस की मौखिक परीक्षा का आयोजन आनलाइन माध्यम से कराया जायेगा। यह प्रक्रिया इन छात्रों की लिखित परीक्षायें शुरू होने के पूर्व ही सम्पन्न करा ली जाय।

6. कोई भी छात्र जो कतिपय तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट वाईवा के अंतिम मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम नहीं है, तो संस्थान ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय को सूचित करते हुये वाइवा के लिये एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। यदि फिर भी छात्र वाइवा देने से वंचित रह जाता है, तो ऐसी अवस्था में संस्थान द्वारा ऐसे छात्रों के प्रोजेक्ट वाइवा का मूल्यांकन संस्थान खुलने के तुरंत बाद कराया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के परिणाम को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि उनका मूल्यांकन संस्थान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है और वाइवा के अंक प्रदान नहीं कर दिये जाते।

7. M.Tech/M-Pharma/M.Arch के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिये अंतिम शोध प्रबंध परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकैडमिक कार्यक्रम के अनुसार ही आनलाइन माध्यम से कराया जाए।

गैर अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकनः

1. सभी माध्यवर्ती वर्ष, गैर-अंतिम वर्ष, के छात्रों के इवेन सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के दिनांक अप्रैल 29, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाय तथा इन सभी छात्रों (जिन्होंने संबंधित विश्वविद्यालय में इवेन सेमेस्टर 2019-20 की एण्ड सेमेस्टर परीक्षा के फार्म भरे हैं) को अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय।

2. संस्थानों को आनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट/प्रोयोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिये यथोचित समय दिया जाय। इस अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंको को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।

3. विश्वविद्यालय की एकैडमिक परिषद छात्र के अंतिम ग्रेड को तय करने के लिये आंतरिक मूल्यांकन और छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर शैत्रिक मूल्यांकन के लिये दिये जाने वाले उचित अनुपात का फैसला करेगी।

4. सभी मध्यवर्ती वर्ष, गैर-अंतिम वर्ष के छात्रों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षायें, जहां लागू हो, संबंधित विश्वविद्यालय संस्थानों के खुलने के बाद आयोजित की जाय। जिन छात्रों के पिछले सेमेस्टर/वर्ष के विषयों में कोई कैरी ओवर है, जहां

लागू हो, उनके अंतिम परिणामों को रोक कर रखा जाय तथा कैरी ओवर पेपर के परिणाम घोषित होने के बाद, उनके अद्यतन ग्रेड की गणना की जाय और परिणाम घोषित किया जाय।

5. M.Tech/M-Pharma/M.Arch के प्रथम वर्ष के छात्रों का बिना परीक्षा के प्रमोशन होना है अथवा परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाय।

6. विश्वविद्यालय के इवेन सेमेस्टर 2019-20 में रि-रजिस्टर्ड छात्र, जहां लागु हो, का मूल्यांकन भी उपरोक्त नियमित छात्रों की भांति ही किया जाय।

7. केवल वही नियमित छात्र मूल्यांकन के लिये पात्र होंगे, जिन्होंने सत्र 2019-20 की इवेन सेमेस्टर परीक्षा के लिये परीक्षा फार्म भरा है।

8. AICTE के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी छात्र को उपस्थिति के आधार पर अंतिम मूल्यांकन में उपस्थित होने से रोका न जाय।

9. कोई भी छात्र जो अपने ग्रेड को सुधारना चाहता है , उसके अगले शैक्षणिक वर्ष (2020-2021) में अपने ग्रेड में सुधार करने के लिये , एक अतिरिक्त प्रयास दिया जा सकता है। छात्र परीक्षा फार्म भर कर अगले शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित होने वाली एण्ड सेमेस्टर की परीक्षा में उस विषय की परीक्षा में भाग ले सकता है। ऐसे सभी प्रकरणों के लिये, मूल्यांकन के बाद, प्राप्त अंक (और तदनुसार ग्रेड) छात्र को प्रदान किये जाय और एक अद्यतन ग्रेड शीट छात्र को जारी की जाए। इस प्रयास को कैरी पेपर के रूप में नहीं माना जाएगा। इस कार्य हेतु छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में केवल एक प्रयास दिया जायेगा।

10. सभी Non फाइनल ईयर रिजल्ट को जुलाई माह तक घोषित कर 01, अगस्त से 01 सितम्बर, 2020 के मध्य नए सत्र की आन-लाइन कक्षायें प्रारम्भ की जा सकती है।

3. उक्त के अतिरिक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्रदेश में पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बंध में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते है:-

क्र0	सेमेस्टर/वर्ष	प्रस्तावित कार्य एवं टाइम लाइन
1.	द्वितीय चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली) / प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष (वार्षिक प्रणाली)	दिनांक 17-08-2020 से 05-09-2020 के मध्य फेस टू फेस अध्यापन कार्य कराकर समस्त विषयों की शेष पाठ्यचर्या को पूर्ण कराया जायेगा।
2.	अंतिम सेमेस्टर / अंतिम वर्ष लिखित	दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 के मध्य सम्पदित की जायेगी।

	थ्योरी परीक्षा	दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 के मध्यम प्रोजेक्ट कार्य आनलाइन प्रणाली से पूर्ण कराते हुये दिनांक 01.08.2020 से 05.08.2020 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन तथा दिनांक 06.08.2020 से 14.08.2020 के मध्य वाह्य मूल्यांकन आनलाइन प्रणाली से पूर्ण कराया जायेगा।
3.	द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर(सेमेस्टर प्रणाली) / प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष (वार्षिक प्रणाली)	प्रयोगात्मक परीक्षाओं को दिनांक 01.09.2020 से 05.09.2020 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से पूर्ण करवाया जायेगा।
4.	द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली)/ प्रथम वर्ष (वार्षिक प्रणाली)	दिनांक 17.08.2020 से 05.09.2020 के मध्य शेष सेशनल परीक्षा तथा असाइनमेंट पूर्ण कराकर आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में घोषित परीक्षा फल के 50 प्रतिशत अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विषयों के अंक प्रदान करते हुये छात्रों को अगले शैक्षणिक सेमेस्टर /वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा।
5.	द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली)/ प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष (वार्षिक प्रणाली)	समस्त मूल्यांकन एवं परीक्षाफल की घोषणा दिनांक 30.09.2020 तक की जायेगी।
6.	प्रथम सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली)/ प्रथम वर्ष(वार्षिक प्रणाली)	शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का अध्यापन कार्य दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ करवाया जायेगा।
7.	तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली) / अंतिम वर्ष (वार्षिक प्रणाली)	शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का अध्यापन कार्य दिनांक 15.09.2020 से प्रारम्भ करवाया जायेगा।

5. तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि सम्बंधित विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपनी विनियमावली /अधिनियम के अनुरूप अपने विद्यापरिषद /सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लें। पालिटेक्निक संस्थाओं के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से सम्यक विचार कर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

6. कोविड-19 वैश्विक महामारी के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

Digitally signed by सुनील कुमार चौधरी
Date:Thu Jul 16 16:32:03 IST 2020
Reason: Approved

(सुनील कुमार चौधरी)

विशेष सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 कानपुर।
2. कुलसचिव, डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ।
3. कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी)

विशेष सचिव